## **Rao Birender Singh**

Former Chief Minister of Haryana and Cabinet Minister in Government of India, Late Rao Birender Singh, a descendant of Shaheed-e-Azam Rao Tula Ram, a frontline hero of the 1857 movement for Independence, belonged to the Royal Family of Rewari. He was born on 20th February 1921 in Rewari (Haryana). Educated at the prestigious St. Stephen's College, Delhi University he served as a Captain in the Indian Army. Though selected to the Indian Police Service in 1950, he preferred the army to serve the Nation.

Rao Birender Singh started his political career in 1954 by being elected as an independent to the Punjab Legislative Assembly. Keeping in view his immense popularity amongst the masses, Punjab Chief Minister Shri Pratap Singh Kairon gave him a place in the Cabinet and he served the public, handling important Ministries like Public Works, Transport, Revenue and Irrigation. In 1961, he resigned from the Kairon Cabinet due to apathy towards the Hindi - speaking areas of Punjab and raised the demand for a separate State of Haryana. His struggle paved the way for the creation of a separate Harvana State in 1966. In 1967, Rao Birender Singh was elected as the first Speaker of the newly formed Haryana Legislative Assembly. In 1967, he was elected as an MLA from Pataudi Assembly. On 23rd March, 1967, Rao Birender Singh became Chief Minister of Haryana and took decisions for the welfare of people of Haryana. In 1971, Rao Birender Singh was elected from the Mahendragarh Lok Sabha Constituency on a Vishal Haryana Party ticket. In 1977, Mrs. Indira Gandhi herself lost the election. Subsequently, Mrs. Gandhi came to Rewari and appealed to Rao Birender Singh in a public meeting to cooperate in difficult times. Which he did! Keeping in view his cooperation, given in the 1980 Lok Sabha elections, Rao Birender Singh was inducted as the Union Minister for Agriculture, Rural Development, Irrigation and Civil Supplies.

On 31st December 1981, as the Union Irrigation Minister, he paved the way for the historic Raavi - Beas Water Agreement signed by the Chief Ministers of Punjab, Haryana and Rajasthan and the then Prime Minister Mrs. Indira Gandhi. While being the Union Agriculture Minister, he did many welfare works for the farmers and due to his policies,

the farmers got the maximum price for their produce. Due to his farmer-friendly policy, the farmers coined a slogan about him: Rao-Aaya, Bhav-Aaya. During his tenure as Agriculture Minister, the production of food grains in the country increased from 107 to 185 metric tonnes annually. While being the Union Civil Supplies Minister, Rao Birender Singh approved the Consumer Protection Act. After this, consumer courts were formed across the country and the door of justice opened up for the consumer.

After general Election of 1984, Rao Birender Singh joined as Union Agriculture and Food Minister under the leadership of the then Prime Minister Shri Rajiv Gandhi. Rao Birender Singh resigned on 25<sup>th</sup> September 1985 from the Cabinet as he was against Rajiv Longowal Agreement, on the Table of the House itself. In the history of independent India it was the first time when any cabinet minister has given his resignation letter in public interest in the House itself. He later resigned from Parliament and the Congress Party.

In 1989 he won the Lok Sabha election on the Janta Dal ticket and he served the country as the Union Food and Public Distribution Minister in the Chandra Shekhar Cabinet.

Rao Birender Singh always strived to raise the voice of Farmers, underprivileged, minorities and backward classes of the country and as the chief of All India Yadav Maha Sabha he raised the demand for their representation in Vidhan Sabha and Provincial Parishads across the country.

Rao Birender Singh died at the age of 88 years on  $30^{\rm th}$  September 2009.


Department of Posts is pleased to issue a Commemorative Postage Stamp on Rao Birender Singh.

#### Credits:

Stamp/FDC/Brochure : Ms. Vinita Sinha Cancellation Cachet : Mrs. Nenu Gupta

Text : Based on information provided

by the proponent.



### राव बीरेंद्र सिंह

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री, स्वर्गीय राव बीरेंद्र सिंह रेवाड़ी के शाही परिवार से थे। वे 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के जांबाज नायक, शहीद—ए—आजम राव तुला राम के वंशज थे। उनका जन्म 20 फरवरी 1921 को रेवाड़ी (हरियाणा) में हुआ। राव बीरेंद्र सिंह ने प्रतिष्ठित सेंट स्टीफंस कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की। तत्पश्चात उन्होंने भारतीय सेना में कैप्टन के रूप में कार्य किया। 1950 में भारतीय पुलिस सेवा में चयन होने के बावजूद उन्होंने राष्ट्र सेवा के लिए सेना में रहने का फैसला किया।

राव बीरेंद्र सिंह ने अपने राजनीतिक जीवन की शरुआत 1954 में पंजाब विधान सभा के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विजय हासिल कर ली। जनता के बीच उनकी अपार लोकप्रियता को ध्यान में रखते हए पंजाब के मख्यमंत्री श्री प्रताप सिंह कैंरों द्वारा उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। राव बीरेंद्र सिंह ने लोक निर्माण, परिवहन, राजस्व और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों को संभालते हुए जनता की सेवा की। पंजाब के हिंदी भाषी क्षेत्रों के प्रति उदासीनता को देखते हुए उन्होंने 1961 में कैंरों मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया और एक अलग राज्य 'हरियाणा' की मांग की। उनके प्रयासों के फलस्वरूप 1966 में एक अलग 'हरियाणा' राज्य का गठन हुआ। 1967 में राव बीरेंद्र सिंह नवगठित हरियाणा विधान सभा के प्रथम अध्यक्ष चूने गए। 1967 में ही उन्हें पटौदी विधानसभा से विधानसभा सदस्य के रूप में चुना गया। 23 मार्च, 1967 को राव बीरेंद्र सिंह, हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने हरियाणा की जनता के कल्याण के लिए अनेक फैसले लिए। 1971 में राव बीरेंद्र सिंह 'विशाल हरियाणा पार्टी' के टिकट पर महेंद्रगढ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए। 1977 में स्वयं श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव हार गईं। चुनाव के उपरांत, श्रीमती इंदिरा गांधी रेवाडी आईं और एक जनसभा में राव बीरेंद्र सिंह से कठिन समय में उन्हें सहयोग करने की अपील की। राव बीरेंद्र सिंह ने उनकी अपील को मानते हुए उन्हें सहयोग किया। 1980 के लोकसभा चुनाव में राव बीरेंद्र सिंह के सहयोग को ध्यान में रखते हुए उन्हें कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई और नागरिक आपूर्ति के केंद्रीय मंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल किया गया।

31 दिसंबर 1981 को केंद्रीय सिंचाई मंत्री के रूप में उन्होंने ऐतिहासिक रावी—ब्यास जल समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिस पर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा हस्ताक्षर किए गए। केंद्रीय कृषि मंत्री रहते हुए उन्होंने किसानों के लिए कई कल्याणकारी कार्य किए और उनकी नीतियों के फलस्वरूप किसानों को उनकी फसल का अधिकतम मूल्य मिला। राव बीरेंद्र सिंह की किसान—अनुकूल नीति के चलते किसानों द्वारा नारा दिया गयाः राव आया, भाव आया। कृषि मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान, देश में खाद्यान्नों का उत्पादन प्रतिवर्ष 107 मीट्रिक टन से बढ़कर 185 मीट्रिक टन हो गया। केंद्रीय नागरिक आपूर्ति मंत्री रहते हुए राव बीरेंद्र सिंह द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को मंजूरी दी गई, जिसके फलस्वरूप देशभर में उपभोक्ता अदालतों का गठन हुआ और उपभोक्ताओं के लिए न्याय के द्वार खुले।

1984 के आम चुनाव के बाद, राव बीरेंद्र सिंह ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। राव बीरेंद्र सिंह राजीव—लोंगोवाल समझौते के विरुद्ध थे जिसके चलते उन्होंने 25 सितंबर 1985 को सदन के पटल पर ही मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहली बार था कि किसी कैबिनेट मंत्री ने जनहित में सदन में ही अपना त्यागपत्र दे दिया। बाद में उन्होंने संसद और कांग्रेस पार्टी से भी त्यागपत्र दे दिया।

1989 में उन्होंने जनता दल के टिकट पर लोक सभा चुनाव में जीत हासिल की और चंद्रशेखर कैबिनेट में केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री के रूप में देश की सेवा की।

राव बीरेंद्र सिंह ने सदा देश के किसानों, वंचित वर्गों, अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों के लिए आवाज उठाई तथा अखिल भारतीय यादव महासभा के प्रमुख के रूप में, देश की सभी विधान सभाओं एवं प्रांतीय परिषदों में उनके प्रतिनिधित्व की मांग की।

राव बीरेंद्र सिंह का 30 सितंबर 2009 को 88 वर्ष की आयु में देहांत हो गया।

डाक विभाग, राव बीरेंद्र सिंह पर स्मारक डाक–टिकट जारी करते हुए प्रसन्नता का अनुभव करता है।

### आभार :

डाक-टिकट / प्रथम दिवस आवरण / : श्रीमती विनीता सिन्हा

विवरणिका

विरूपण कैशे : श्रीमती नीनू गुप्ता

पाठ : प्रस्तावक से प्राप्त सामग्री के आधार पर

# तकनीकी आंकड़े TECHNICAL DATA

मृल्य : 500 पैसे

Denomination : 500 p

मुद्रित डाक टिकटें : 301805 प्रत्येक

Stamps Printed : 301805 each

मुद्रण प्रक्रिया : वेट ऑफसेट

Printing Process : Wet Offset

मुद्रक : प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद

Printer : Security Printing Press, Hyderabad

The philatelic items are available for sale at Philately Bureaus across India and online at <a href="http://www.epostoffice.gov.in/PHILATELY3D.html">http://www.epostoffice.gov.in/PHILATELY3D.html</a>

- © डाक विभाग, भारत सरकार। डाक टिकट, प्रथम दिवस आवरण तथा सूचना विवरणिका के संबंध में सर्वाधिकार विभाग के पास है।
- © Department of Posts, Government of India. All rights with respect to the Stamp, First Day Cover and Information Brochure rest with the Department.

मूल्य ₹ 5.00